अध्याय III

नीतिगत परिवेश

रिज़र्व बैंक की विवेकपूर्ण और पर्यवेक्षी नीतियों का लक्ष्य बैंकिंग प्रणाली में समग्र सुधार करना और वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहित करना था। रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंकों की भूमिका में सुधार करने की पहलों को जारी रखा। बैंकिंग संरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा भुगतान एवं निपटान प्रणालियों की सक्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामकीय उपाय किए जा रहे हैं। वर्ष के दौरान शुरू किए गए विभिन्न संरचनागत सुधारों का लक्ष्य कारोबारी परिवेश में सुधार करना और अर्थव्यवस्था के अधिकांश हिस्से को औपचारिक ढाँचे में लाना था। इन उपायों से मध्यम से दीर्घ अवधि में वृद्धि-दर को गति मिलने की संभावना है।

I. परिचय

III.1 वर्ष 2016-17 में वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल और भौगालिक-राजनीतिक तनाव से भरे परिवेश के विपरीत भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता में तुलनात्मक रूप से एक स्थायित्व देखने को मिला जिससे वित्तीय क्षेत्र की नीतियों में विद्यमान कमियों को दूर करने और उनमें किए जाने वाले सुधारों के लिए एक समेकित एवं सघन एजेंडा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सका। एक ओर जहाँ बासेल III ढांचे के अंतर्गत बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति के कार्य के साथ विनियामकीय ढांचे को संरेखित करना प्राथमिकता बनी रही जिसमें जी20 की प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, रिज़र्व बैंक ने अपनी विनियामकीय और पर्यवेक्षी नीतियों में सुधार किया जिससे बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़, समुत्थानशील और समावेशी बनाया जा सके । तीन स्तंभों - विनियमन, निगरानी और प्रवर्तन को आधार बनाते हुए वित्तीय क्षेत्र की प्रभावी निगरानी करने के साथ-साथ अधिकाधिक डिजिटलीकरण के साथ साइबर सुरक्षा में सुधार करने तथा जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए बेहतर ग्राहक सेवा का प्रावधान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

III.2 इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय बैंकिंग क्षेत्र में वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान की गई नीतिगत पहलों का विश्लेषण किया गया है। मौद्रिक नीति और चलनिधि प्रबंध, क्रेडिट डिलीवरी और वित्तीय समावेशन के संबंध में की गयी नीतिगत पहलों को खंड II से खंड IV तक में रेखांकित किया गया है। खंड V और खंड VI में विवेकपूर्ण विनियामकीय और पर्यवेक्षी नीतियों पर चर्चा की गई है। खंड VII से IX गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, ग्राहक सेवा और भुगतान तथा निपटान प्रणालियों के लिए किए गए नीतिगत उपायों को कवर करते हैं। खंड X में बैंकिंग क्षेत्र में विधि निर्माण का ब्योरा दिया गया है और अंतिम खंड में निष्कर्ष दिए गए हैं।

II. मौद्रिक नीति और चलनिधि प्रबंध

III.3 भारत में मौद्रिक नीति में वर्ष 2016-17 के दौरान व्यवस्थापरक बदलाव हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम में संशोधन, जो 27 जून 2016 को प्रभावी हुए, में रिज़र्व बैंक को इसके स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य के साथ-साथ मौद्रिक नीति ढांचे को परिचालित करने के लिए विधायी अधिदेश प्रदान करने का प्रावधान किया गया जिसे 'आर्थिक संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखने' के रूप में परिभाषित किया गया है। 5 अगस्त 2016 को सरकार ने सीपीआई-संयुक्त मुद्रास्फीति में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का लक्ष्य 4% अधिसूचित किया जिसमें ऊपरी और निम्नतम सहनशीलता स्तर क्रमशः 6% और 2% प्रतिशत निर्धारित किया गया। संशोधित आरबीआई अधिनियम में छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के गठन का भी प्रावधान किया गया है जिसे नीति दर निर्धारित करने का निर्णय सौंपा गया है। इसके बाद, रिज़र्व बैंक को सार्वजनिक डोमेन में परिचालन ढांचा निर्धारित करने का आदेश दिया गया जिसमें एमपीसी के निर्णय को लागू करने के बारे में बताया जाएगा। रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति वक्तव्य में निर्धारित मौद्रिक नीति के परिचालनात्मक ढांचे

और इसमें किए गए समायोजनों की सूचना बाद के नीति वक्तव्य/ मौद्रिक नीति रिपोर्टों (एमपीआर) में दी गई है। परिचालन ढांचे का लक्ष्य चलनिधि स्थिति को उदार बनाना है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि परिचालनात्मक लक्ष्य – भारित औसत कॉल मुद्रा दर (डब्ल्यूएसीआर) - का नीति दर के साथ निकट संरेखण हो।

III.4 चलनिधि परिचालनों को अप्रैल 2016 में घोषित संशोधित ढांचे के अंतर्गत समायोजित (केलिब्रेटेड) किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य चलनिधि सुविधाओं के साथ खुली बाजार खरीद/बिक्री नीलामियों के समय पर उपयोग और परिचालनों को ठीक करके चलनिधि की आपूर्ति को सहज बनाना शामिल था। इसका उद्देश्य प्रणाली में धीरे-धीरे चलनिधि को संतुलित करके इसे तटस्थ स्थिति के निकट लाना था। परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत निवल स्थिति वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही के दौरान ₹813 के औसत दैनिक चलनिधि इंजेक्शन (या प्रणाली स्तरीय घाटा) से अक्टूबर 2016 में ₹63 बिलियन के औसत दैनिक अवशोषण (प्रणाली स्तरीय अधिशेष) में बदल गई। इस प्रक्रिया में, सितंबर-नवंबर 2016 के दौरान एफसीएनआर (बी) के अनुसूचित उन्मोचन को बाजार चलनिधि में किसी प्रकार की परेशानी के बिना व्यवस्थित किया गया।

III.5 9 नवंबर 2016 से शुरू हुए उच्च मूल्य के विनिर्दिष्ट बैंकनोटों (एसबीएन) के विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप 6 जनवरी 2017 तक मुद्रा संचलन 50 प्रतिशत तक कम हो गया[1]। चालू खाता और बचत खाता (कासा) की निम्न लागत वाली जमाराशियां बैंकिंग प्रणाली में आ जाने से घरेलू वित्तीय बजारों में बड़ी मात्रा में चलनिधि आ गयी जो वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा बन गई। इस अधिशेष चलनिधि का समुचित प्रबंध करने के लिए रिज़र्व बैंक ने पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों लिखतों का उपयोग किया जैसे- (**i**) 16 सितंबर से 11 नवंबर 2016 के बीच बैंकों की बढ़ी हुई निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) पर 100 प्रतिशत वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (आईसीआरआर) आरोपित करना, (ii) बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत खुली बाजार बिक्री और (**iii**) ओवरनाइट से 91 दिन की विभिन्न समयावधियों वाली परिवर्तनशील रिवर्स रेपो। 4 जनवरी 2017 को अवशोषित चलनिधि अपने शीर्ष स्तर ₹7,956 पर पहुंच गयी।

III.6 वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (आईसीआरआर) के माध्यम से ₹4,000 बिलियन अधिशेष चलनिधि को अवशोषित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 2 दिसंबर 2016 को एमएसएस के अंतर्गत प्रतिभूतियों के निर्गम की सीमा ₹300 से बढ़ाकर ₹6,000 बिलियन कर देने से रिज़र्व बैंक ने आईसीआरआर को वापस ले लिया। पुनर्मुद्रीकरण के कारण चलनिधि अधिशेष के घटने का पूर्वानुमान करते हुए, परिपक्व होने वाली एमएसएस प्रतिभूतियों, विशेषकर 14 जनवरी 2017 से परिपक्व होने वाली, के कारण आने वाले अधिशेष चलनिधि को अवशोषित करने के लिए रिज़र्व बैंक को बार-बार रिवर्स रेपो परिचालनों का सहारा लेना पड़ा। वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में (7 जनवरी से) पुनर्मुद्रीकरण तेज गति से होने लगा जिसमें संचलन में मौजूद कुल मुद्रा लगभग ₹4,373 बिलियन तक बढ़ गई। इससे प्रणाली में चलनिधि अधिशेष 31 मार्च 2017 तक घटकर ₹3,141 बिलियन रह गया।

III.7 इस बात का पूर्वानुमान करते हुए कि अधिशेष चलनिधि स्थिति वर्ष 2017-18 में जारी रह सकती है, रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2017 में चलनिधि पर दिशानिर्देश जारी किए जिसमें निम्नलिखित तत्व शामिल थे जैसे (i) एमएसएस के अंतर्गत ₹1 ट्रिलियन तक के खज़ाना बिलों (टी-बिल) और दिनांकित प्रतिभूतियों का उपयोग, (ii) भारत सरकार के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार ₹1 ट्रिलियन मूल्य तक के उपयुक्त अवधि के नकदी प्रबंध बिलों (सीएमबी) का निर्गम, (iii) खुला बाजार परिचालन और (iv) प्रतिदिन की चलनिधि को नियंत्रित करने के लिए रिवर्स रेपो / रेपो परिचालन को ठीक करना।

III.8 वर्ष 2017-18 के लिए, सरकार द्वारा एमएसएस के अंतर्गत प्रतिभूतियों के निर्गम की सीमा ₹6 ट्रिलियन से कम करके ₹ 1 ट्रिलियन कर दी गई। चूंकि सरकार ने मानसून से पहले खर्च

[1] 30 जून 2017 तक विमुद्रीकृत बैंकनोटों का कुल मूल्य ₹15.44 ट्रिलियन में से प्राप्त एसबीएन का अनुमानित मूल्य ₹15.28 ट्रिलियन था।

को फ्रंट-लोड किया, सरकारी नकदी-शेष की स्थिति में अस्थायी विसंगति को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न अवधियों के नकदी प्रबंध बिल जारी किए गए। रिज़र्व बैंक ने एमएसएस के अंतर्गत 312 दिनों से 329 दिनों तक की अवधि वाले खज़ाना बिलों (टी-बिलों) के निर्गम के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से ₹1 ट्रिलियन तक की चलनिधि वापस ली। शेष चलनिधि अधिशेष को मुख्य रूप से परिवर्ती दर रिवर्स रेपो नीलामियों के माध्यम से अवशोषित किया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान (10 नवंबर तक) परिचालनगत मुद्रा में 3.2 ट्रिलियन की वृद्धि हुई। तथापि, प्रणाली में अधिशेष चलनिधि को कम करने में इसका प्रभाव भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा बाजार परिचालनों के साथ मिलकर सरकार द्वारा उच्चतर व्यय के ऑफसेट और सरकारी प्रतिभूतियों के बड़े उन्मोचन से अधिक रहा। चलनिधि का औसत दैनिक अवशोषण मार्च 2017 के अंत के ₹3,141 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही के दौरान ₹4,562 बिलियन (एलएएफ, एमएसएस और सीएमबी सहित) हो गया किंतु वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में यह घटकर ₹ 4,290 बिलियन हो गया। चूंकि अधिशेष चलनिधि की स्थिति बनी हुई है, अत: वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक ₹900 बिलियन की खुली बाजार बिक्री की जा चुकी है। त्यौहारों के समय मुद्रा की मांग और सरकारी नकदी शेषराशि के धीरे-धीरे बढ़ने से वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही (14 नवंबर तक) के दौरान चलनिधि का निवल औसत अवशोषण घटकर ₹2.280 बिलियन तक हो गया था। इसी बीच, एलएएफ कॉरिडोर को कम किया गया जिससे कि डब्लूएसीआर का नीति दर के साथ सही संरेखण सुनिश्चित हो सके। मई 2017 के दूसरे सप्ताह में डब्ल्यूएसीआर के व्यापार की दर रेपो दर के आसपास रही, पर इसमें मई 2017 के दूसरे सप्ताह से नरमी का रुख दिखा जिसमें चलनिधि अधिशेष की स्थिति बने रहने का संकेत मिलता है।

III. क्रेडिट डिलीवरी

III.9 वर्ष 2016-17 के दौरान क्रेडिट डिलीवरी से संबंधित नीतिगत उपाय करते हुए अर्थव्यवस्था के उत्पादक और कमजोर क्षेत्रों में क्रेडिट का सहज प्रवाह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इनका लक्ष्य अधिक पारदर्शिता और सूचना की उपलब्धता के माध्यम से सूचना असंगति का हल निकालना भी था।

अल्पावधि फसल ऋण पर ब्याज सहायता योजना

III.10 किसानों को उचित लागत पर अथवा 7 प्रतिशत वार्षिक की घटी हुई दर पर कृषि ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के एवज में लिए गए ऋण सहित) की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 के लिए अपनी बज़ट घोषणा के माध्यम से ₹0.3 मिलियन तक के अल्पकालिक फसल ऋण हेतु ब्याज अनुदान योजना (2 प्रतिशत) शुरू की थी। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / निजी क्षेत्र के बैंकों (रिज़र्व बैंक के माध्यम से अदायगी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों (नाबार्ड के माध्यम से अदायगी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। वर्तमान में 2 प्रतिशत की ब्याज छूट के अतिरिक्त ऋण की शीघ्र अदायगी करने पर 3 प्रतिशत का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जिससे लागत को कम करके 4 प्रतिशत किया गया है। इस योजना को किसानों को गैर-संस्थागत स्रोतों से डिलिंक करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2017-18 में जारी रखा जा रहा है।

III.11 साथ ही, पहले यह ब्याज परिदान योजना अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध थी, अब इसे किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे और सीमांत किसानों के लिए छह माह की बढ़ी हुई अवधि के लिए उपलब्ध कराया गया है ताकि फसल की मजबूरन बिक्री को हतोत्साहित किया जा सके। इस ब्याज परिदान का लाभ उनको फसल अवधि के बाद के छह महीनों (फसल कटाई के बाद) तक की अवधि के लिए उसी दर पर प्रदान किया जाएगा जो परक्राम्य वेयरहाउस रसीदों के बदले फसली-ऋण पर उपलब्ध होती है। पुनर्संरचित ऋण पर पहले वर्ष के लिए 2 प्रतिशत की छूट भी उपलब्ध है जिससे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान की जा सके।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

III.12 किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगस्त 1998 से परिचालनरत है और इसका लक्ष्य किसानों को खेती और अन्य आवश्यकता के लिए एक ही विंडो के तहत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त मात्रा में और समय पर क्रेडिट सहायता उपलब्ध कराना था। इस संबंध में गठित कार्यदल (अध्यक्ष: श्री टी.एम. भासिन) की सिफारिशों, जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार किया, के आधार पर रिज़र्व बैंक ने 11 मई 2012 और 7 अगस्त 2012 को

किसान क्रेडिट कार्ड के दिशानिर्देशों में संशोधन किया (नवीनतम दिशानिर्देशों का मास्टर परिपत्र, दिनांक 3 जुलाई 2017)। इस योजना में काश्तकार किसानों, मौखिक पट्टेदारों और बंटाईदारों को कवर किया गया है। इसमें पांच वर्ष के लिए क्रेडिट सीमा की मंजूरी का प्रावधान है जिसका नवीकरण आसान शर्तों पर प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इस योजना को लागू करें। संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत अधिदेशित स्मार्ट-सह-डेबिट कार्ड जारी करने से किसानों की पहुँच बहु-डिलीवरी चैनलों तक हो सकेगी।

एसएसएमई क्षेत्र के लिए क्रेडिट प्रवाह

III.13 अप्रैल 2016 में, वर्ष 2016-17 के पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गई थी कि रिज़र्व बैंक क्रेडिट परामर्शदाताओं (काउंसलर्स) को मान्यता प्रदान करने के लिए रूपरेखा तैयार करेगा जो फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करते हुए यह प्रयास करेंगे कि औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक उद्यमियों की पहुंच बढ़े। तदनुसार, 11 जुलाई 2017 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए प्रमाणित क्रेडिट परामर्शदाता (सीसीसी) योजना शुरू की। इस योजना का लक्ष्य सूचना की विषमता को कम करना और इस धारणा को समाप्त करना होगा कि एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट जोखिम अधिक होता है।

III.14 एमएसएमई क्षेत्र को वित्तपोषित करने के लिए बैंकरों की क्षमता निर्माण के राष्ट्रीय मिशन (नैमकैब्स) को और तेज किया जा रहा है ताकि एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण से जुड़े वाणिज्यिक बैंक अधिकारियों को इस कार्य में अधिक सक्षम बनाया जा सके। नैमकैब्स के प्रभाव का आकलन करने के लिए अगस्त-सितंबर 2016 के दौरान एक प्रभाव आकलन सर्वेक्षण कराया गया जिससे पता चला कि जो शाखाएं प्रशिक्षित कार्मिकों की देख-रेख में कारोबार कर रही हैं, उन्होंने, विशेषकर सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने में, सामान्यतः अन्य शाखाओं से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इसे आगे बढ़ाते हुए, नैमकैब्स- दूसरा संस्करण के रूप में एक संवर्धित और व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम के रूप में चलाया जाए। इस कार्यक्रम को सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा की गई नीतिगत पहलों के क्षेत्र में हुई नवीनतम गतिविधियों को शामिल करते हुए अधिक व्यापक बनाया गया है। अधिकारियों को उनके कर्तव्यों को प्रभावी तरीके से निभाने के लिए प्रौद्योगिकीय कौशल से सुसज्जित करना भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। 30 सितंबर 2017 तक 7,497 बैंक अधिकारियों ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया।

III.15 11 अगस्त 2016 से 'दायित्व सहित' आधार पर फैक्टरिंग लेनदेन उन बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के वर्गीकरण के लिए पात्र बन गया जो एमएसएमई क्षेत्र के लिए चलनिधि सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से विभागीय रूप से फैक्टरिंग का कारोबार कर रहे हैं, ट्रेड प्राप्यराशि बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) मंच के माध्यम से फैक्टरिंग लेनदेन भी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र हैं।

III.16 अगस्त 2015 में, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने बोर्ड के अनुमोदन से मँझोले और लघु उद्यमों के लिए अपनी उधार नीति में कार्यशील पूंजी की सीमाओं की मंजूरी / नवीकरण करते समय, विशेषकर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में अप्रत्याशित/मौसमी वृद्धि को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सीमा निर्धारित करने संबंधी एक खंड शामिल करें। ₹500 और ₹1000 मूल्यवर्ग के विनिर्दिष्ट बैंकनोटों (एसबीएन) के वैध मुद्रा दर्जे को वापस लेने के कारण एमएसई उधारकर्ताओं को क्षेलनी पड़ रही नकदी प्रवाह बेमेलता को देखते हुए बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने एमएसई उधारकर्ताओं को उपर्युक्त अतिरिक्त सीमा (उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित) तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु दी गयी सुविधा का उपयोग करें। यह 31 मार्च 2017 तक के लिए एकबारगी उपाय था जिसे कार्यशील पूंजी के नए आकलन चक्र से सामान्यीकृत किया गया।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी)

III.17 वर्ष 2016-17 के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना अप्रैल 2016 में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी) योजना का परिचालन थी। पीएसएलसी योजना प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों के तहत उधार प्रदान करने हेतु बैंकों को प्रोत्साहित करने और इस प्रकार समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण को बढ़ावा देने की व्यवस्था है। पीएसएलसी इस प्रकार की बाजार व्यवस्था (मैकेनिज्म) को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखता है जो विभिन्न बैंकों की तुलनात्मक क्षमता की लीवरेजिंग करते हुए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार में वृद्धि करने में बढ़ावा दिया ज सके। यह योजना किसी एक बैंक को

पीएसएलसी के माध्यम से किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपनी लक्ष्य से अधिक उपलब्धि को दूसरे बैंक को बिक्री करने की अनुमति देती है जो बैंक इसे उस क्षेत्र में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए खरीद सकता है, जबकि वह अपने लक्ष्य की अतिरिक्त उपलब्धि को दूसरे बैंक को बेंच सकता है और ऐसा ही दूसरे बैंक भी कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने अपने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) पोर्टल (ई-कुबेर) के माध्यम से प्रमाण-पत्रों की ट्रेडिंग करने के लिए मंच उपलब्ध कराया है।

सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री पर उच्च-स्तरीय कार्यदल

III.18 सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्रेडिट बाजार में पारदर्शिता लाएगी और इससे उधारदाताओं और उधारकर्ताओं दोनों को मदद मिलेगी। जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों के अंतर्गत अगस्त 2017 में घोषणा की गई थी, भारत के लिए सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) पर एक उच्च-स्तरीय कार्यदल (अध्यक्षः श्री यशवंत एम. देवस्थली) का गठन किया गया है। इसमें रिज़र्व बैंक, बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), उद्योग निकायों और सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न स्टेकधारकों का प्रतिनिधित्व है। यह कार्यदल क्रेडिट संबंधी सूचना की वर्तमान में उपलब्धता, मौजूदा सूचना स्रोतों (यूटिलिटीज) की पर्याप्तता की समीक्षा करेगा और उन सूचना-अंतरालों की पहचान करेगा जिन्हें पीसीआर के माध्यम से भरा जा सकता है। पीसीआर के दायरे को निर्धारित करने के लिए यह सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का अध्ययन करेगा और इस बात का अध्ययन भी करेगा कि किस प्रकार की सूचनाओं और क्रेडिट बाजारों को इसके तहत शामिल किया जाना चाहिए। कार्यदल एक अत्याधुनिक सूचना प्रणाली का प्रस्ताव भी करेगा जो मौजूदा प्रणालियों को सुदृढ़ और एकीकृत करेगी तथा यह भारत के लिए एक पारदर्शी, व्यापक और लगभग-तत्काल-पीसीआर विकसित करने के लिए एक माड्यूलर, प्राथमिकताप्राप्त रूपरेखा का सुझाव देगा। यह कार्यदल इसके गठन की तारीख से छह महीने के अंदर अर्थात 4 अप्रैल 2018 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

IV. वित्तीय समावेशन

III.19 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार और अन्य स्टेकधारकों के सहयोग से समय-समय पर देश में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेप किए हैं। इस नीति को वर्ष 2010 के दौरान वित्तीय समावेशन योजनाओं को अपनाने के बाद इसे और अधिक प्रोत्साहन मिला। ये योजनाएं तीन वर्ष की समयावधि के लिए स्वयं-निर्धारित लक्ष्य हैं जिन्हें बैंकों के बोर्डों द्वारा अनेक उत्पादों जिनमें किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) भी शामिल हैं, के ज्यादा से ज्यादा आउटलेट खोलते हुए आउटरीच का दायरा बढ़ाया गया। अगस्त 2014 में, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) नाम से एक महत्वाकांक्षी वित्तीय समावेशन मिशन का शुभारंभ किया जिससे वहनीय लागत पर बैंकिंग से जुड़ी मूलभूत वित्तीय सेवाओं जैसे बचत और जमा खाते, विप्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। 14 नवंबर 2017 तक ₹677 बिलियन शेषराशि के साथ 306 मिलियन खाते खोले गए हैं।

III.20 इसी क्रम में, वित्तीय रूप से अलग-थलग पड़ चुके वर्गों के लिए वर्ष के दौरान अनेक नीतिगत उपाय किए गए जिससे कि समाज के आखिरी पायदान तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचायी जा सकें। कारोबारी प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल को सुदृढ़ बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने बीसी रजिस्ट्री के लिए एक ढांचा विकसित किया। यह रजिस्ट्री मौजूदा और संभावित कारोबारी प्रतिनिधियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेगी और बीसी परिचालनों की प्रभावी निगरानी और पर्यवेक्षण करने में मदद करेगी। इससे समुचित नीतिगत उपाय करते हुए बीसी आधारित बैंकिंग ढ़ांचे को और अधिक मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

III.21 नये ग्राहकों को बैंकिंग की मुख्यधारा में लाने में भी बीसी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें प्रदान किया जाने वाला समुचित मार्गदर्शन और सहारा बैंकिंग व्यवस्था के साथ उनके निरंतर और गहरे संबध के लिए महत्वपूर्ण है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने उनकी कार्यात्मक और व्यवहारात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मूल और उन्नत स्तरीय पाठ्यक्रमों के ज़रिए बीसी प्रमाणन हेतु एक ढांचा विकसित किया है।

III.22 भारतीय बैंक संघ (आईबीए) बीसी रजिस्ट्री स्थापित करने की प्रक्रिया में है तथा यह बीसी प्रमाणन की प्रक्रिया को आगे ले जा रहा है।

V. विवेकपूर्ण विनियामकीय नीति

III.23 रिज़र्व बैंक की विनियामकीय नीतियों का लक्ष्य समग्र वित्तीय स्थिरता को बढ़ाते हुए और जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण कर के बैंकिंग परिचालनों का व्यवस्थित विकास और आयोजन करना है। भारत की वित्तीय व्यवस्था में बैंकों के वर्चस्व को देखते हुए, रिज़र्व बैंक का प्रयास है कि एक अधिक प्रतिस्पर्धी, सक्षम और मिश्रित बैंकिंग संरचना विकसित की जाए जो भिन्न-भिन्न प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो।

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित करना

III.24 दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की समय पर पहचान करना और समयबद्ध समाधान या परिसमापन करना बैंक तुलन-पत्रों को सुलझाने (डि-क्लोगिंग) और पूंजी[2] के सक्षम पुनर्आबंटन के लिए महत्वपूर्ण है। रिज़र्व बैंक और भारत सरकार एक बहु-आयामी दृष्टिकोण के साथ व्यापक रूप से इस चुनौती का समाधान करने की दिशा में अग्रसर हैं। विधिक, विनियामकीय, पर्यवेक्षी और संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं जिनका अंतिम उद्देश्य समयबद्ध तरीके में दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करना है।

III.25 क्रेडिट सुविधाओं की अधिकाधिक संरचनाबद्ध करते हुए, स्वामित्व/प्रबंधन में बदलाव करने की योग्यता पैदा करके और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री में अधिक पारदर्शिता लाते हुए दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। 'त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई' प्रणाली को हाल ही में संशोधित किया गया जिसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा विशिष्ट विनियामकीय कार्रवाई की जाती है यदि बैंक कतिपय ट्रिगर पॉइंट्स का उल्लंघन करते हैं। प्रयास यह रहता है कि नियम आधारित दृष्टिकोण को अपनाकर समय पर पर्यवेक्षी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गंभीर उल्लंघनों के लिए प्रभावी पर्यवेक्षी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अलग से प्रवर्तन विभाग स्थापित किया गया है।

III.26 नवंबर 2016 में, रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के निपटान हेतु विनियामकीय ढांचे को और सुदृढ़ बनाने के लिए दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया। कुछ उल्लेखनीय उपायों में, अन्य दिशानिर्देशों के साथ कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) योजना के मामले में लागू स्टैंड-स्टिल खंड का समन्वय, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की संधारणीय संरचना (एस4ए), इन्फ्रास्ट्रक्चर और मुख्य उद्योगों को दिए जाने वाले मौजूदा दीर्घावधि परियोजना ऋण की लचीली पुनर्संरचना, कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश और वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की अनुमानित तारीख पर स्पष्टीकरण शामिल है।

III.27 बैंकों को 18 अप्रैल 2017 को सूचित किया गया था कि वे निर्धारित फार्मेट में ऐसे मामलों में उचित प्रकटन करें जहां, (क) रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित अतिरिक्त प्रावधानीकरण अपेक्षाएं संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित किए गए कर के बाद निवल लाभ के 15 प्रतिशत से अधिक हो गई हों, या (ख) रिज़र्व बैंक द्वारा पहचान की गई अतिरिक्त सकल अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए) संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित की गई वृद्धिशील सकल अनर्जक परिसंपत्तियों के 15 प्रतिशत से अधिक हो गई हों। यह उम्मीद है कि इससे अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी तथा आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) पर रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन के संबंध में बेहतर अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा।

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017

III.28 इस बिल का उद्देश्य खराब वित्तीय स्थिति वाले वित्तीय सेवा प्रदाताओं की विशेषीकृत श्रेणियों की समस्याओं का समाधान करना, बैंकिंग संस्थाओं के उपभोक्ताओं को निक्षेप बीमा उपलब्ध कराना और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के नामांकन के लिए एक ढांचा

[2] पटेल, उर्जित आर. (2017), "रेजल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्सः टुवर्ड्स द एंडगेम", "नेशनल कान्फ्रेंस ऑन इन्सॉल्वंसी एंड बैंक्रप्सी: चेंजिंग पैराडाइम", मुंबई (19 अगस्त)

स्थापित करना है। वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा पर ड्राफ्ट बिल वर्तमान में विभिन्न संविधियों में अलग-अलग समाधान प्रावधानों को समेकित करता है और नई अपेक्षाएं शुरू करता है जैसे अस्थिरता के प्रति जोखिम की विभिन्न श्रेणियों में वित्तीय सेवा प्रदाताओं का वर्गीकरण, समाधान/पुनर्वास योजना प्रस्तुत करना आदि और प्रचलित अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों के अनुसार समाधान की नई पद्धतियां। यह एक नए विशेषीकृत प्राधिकरण - समाधान निगम - के सृजन का प्रस्ताव करता है जिसे वित्तीय सेवा प्रदाताओं का तेज और सक्षम समाधान करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। यह प्राधिकरण ऐसे जमा बीमा कार्यों का निपटान करेगा जिन्हें वर्तमान में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा किया जा रहा है।

बैंकों के लिए बासेल III पूंजी ढांचा अपनाना

III.29 बासेल III जोखिम आधारित पूंजी मानकों, चलनिधि मानकों, वैश्विक और घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के मानकों, लीवरेज़ अनुपात, बढ़े हुए एक्सपोज़र फ्रेमवर्क और बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बासेल III पूंजी विनियमों को भारतीय बैंकों के लिए 31 मार्च 2019 तक अर्थात अंतरराष्ट्रीय सहमति से निर्धारित तारीख 1 जनवरी 2019 के आस-पास पूरी तरह से लागू कर लिया जाएगा।

III.30 1 जनवरी 2019 तक 100 प्रतिशत चलनिधि कवरेज़ (एलसीआर) में अंतरण करने के संदर्भ में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को 14 अक्टूबर 2017 से शुरू हुए पखवाड़े से बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 20.0 प्रतिशत से 50 आधार अंक घटाकर 19.5 प्रतिशत किया गया।

III.31 भारतीय बैंकों के लिए एक्सपोज़र मानदंडों को बीसीबीएस मानकों के अनुसार संरेखित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 1 दिसंबर 2016 को बड़े एक्सपोज़र (एलई) संबंधी ढांचे पर दिशानिर्देश जारी किए जिनके संबंध में बैंकों का टीयर I पूंजी से एकल और समूह काउंटरपार्टी के लिए एक्सपोज़र सामान्य रूप से क्रमशः 20 और 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। एलई ढांचा 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा।

III.32 बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम संबंधी संशोधित बीसीबीएस फ्रेमवर्क के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम के अभिशासन, मूल्यांकन और प्रबंधन पर दिशानिर्देशों का मसौदा 2 फरवरी 2017 को जारी करते हुए फीडबैक/अभिमत आमंत्रित किए।

विवेकपूर्ण विनियमन हेतु उपाय

III.33 यह प्रावधान किया गया कि आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के एक्सपोजर को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) से पंजीकृत और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्यायित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग के अनुसार जोखिम भारित होना चाहिए और इसे 20 अक्टूबर 2016 से प्रभावी किया गया।

III.34 प्रतिचक्रीय (काउंटरसाइक्लिकल) उपाय के रूप में, 7 जून 2017 को या इसके बाद मंजूर किए गए व्यक्तिगत आवास ऋण के लिए ऋण-मूल्य अनुपात (एलटीवी), जोखिम भार और मानक परिसंपत्ति प्रावधानीकरण दर को भी युक्तिसंगत बनाया गया।

III.35 13 जून 2017 से, बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए अपने दावों के जोखिम भार तय करने के उद्देश्य से मौजूदा छह घरेलू क्रेडिट रेटिंग एंजेसियों (केयर, क्रिसिल, फिच इंडिया, आईसीआरए, ब्रिकवर्क रेटिंग और स्मेरा) के अतिरिक्त इन्फोमेरिक्स मूल्यनिर्धारण और रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड की रेटिंगों का उपयोग करें।

III.36 डेरिवेटिव लेनदेनों से उत्पन्न काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम के लिए एक्सपोज़र परिकलित करने तथा केंद्रीय काउंटरपार्टियों के लिए बैंकों के एक्सपोज़र हेतु पूंजी आवश्यकताओं पर दिशानिर्देश 10 नवंबर 2016 को जारी किए गए जिससे कि क्रेडिट जोखिम की निगरानी व्यापक रूप से सभी जगह से की जा सके। इन दिशानिर्देशों के संबंध में, एक्सपोज़र सीमाओं में बैंक की अपनी सभी काउंटरपार्टियों और उनसे संबद्ध काउंटरपार्टियों के समूह के लिए एक्सपोज़र की गणना की जाएगी। यह 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी होगा।

III.37 प्रभावी जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में, अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों से अपेक्षित है कि वे क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

को क्रेडिट मंजूरी प्रक्रिया से अलग करें। इसको देखते हुए, सर्वोत्तम पद्धतियों के साथ एकरूपता और संरेखण के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य तकनीकी अधिकारी की भूमिका पर दिशानिर्देश 27 अप्रैल 2017 को जारी किए गए।

विकासात्मक विनियामकीय उपाय

III.38 18 अप्रैल 2017 से बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डों/डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमत अपनी निवल मालियत की समग्र 20 प्रतिशत की उच्चतम सीमा और वेंचर पूंजी फंडों में एक्सपोजर के अंदर रियल एस्टेट निवेश न्यासों (आरईआईटी) और इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश न्यासों में निवेश कर सकते हैं। बैंकों को रियल एस्टेट निवेश न्यासों (आरईआईटी)/ इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश न्यासों के लिए एक्सपोज़र पर नीति बनानी चाहिए जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो और जो रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के संबंध में समग्र एक्सपोज़र सीमा के भीतर ऐसे निवेश पर आंतरिक सीमा निर्धारित करती हो। इसके अतिरिक्त, बैंक एस्टेट निवेश न्यासों (आरईआईटी)/इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश न्यासों की यूनिट पूंजी में 10 प्रतिशत से अधिक का निवेश नहीं करेंगे।

III.39 बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सेवाओं पर निम्नलिखित नीतिगत बदलाव 25 सितंबर 2017 से कार्यान्वित हो गए हैं :

- श्रेणी I और II वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में निवेश करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को संरेखित करने के लिए बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे एआईएफ- II (एआईएफ I के अनुरूप) की यूनिट पूंजी के 10 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं जिससे अधिक पर उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लेने की जरूरत होगी। तथापि, बैंकों द्वारा श्रेणी III एआईएफ में निवेश करने पर विशेषरूप से रोक लगाई गई है। इसके अतिरिक्त, बैंक के परोक्ष एक्सपोज़र को सीमित करने की दृष्टि से बैंकों की सहायक संस्थाओं द्वारा एआईएफ III में सेबी द्वारा प्रायोजक/प्रबंधक की वचनबद्धता पर निर्धारित न्यूनतम विनियामकीय सीमा तक किए जाने वाले निवेश पर उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है।
- वित्तीय सेवा कंपनियों में बैंकों के निवेश की सामान्य अनुमति के लिए न्यूनतम सीआरएआर 10 प्रतिशत (अब तक के 9 प्रतिशत के न्यूनतम सीआरएआर पर 1 प्रतिशत बफर सहित) था। चूंकि पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) निर्धारित किए जाने के कारण कुल पूंजी अपेक्षाओं में वृद्धि हो गई है, इसलिए न्यूनतम सीआरएआर अपेक्षा को संशोधित पूंजी निर्धारण के साथ संरेखित किया गया है।
- बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे कतिपय शर्तों के अधीन सेबी से पंजीकृत शेयर बाजारों के पण्य-वस्तु डेरिवेटिव खंड के व्यावसायिक समाशोधन सदस्य (पीसीएम) बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकों की सहायक संस्थाओं को कतिपय शर्तों का पालन करने पर शेयर बाजार के पण्य-वस्तु डेरिवेटिव खंड में दलाली सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

III.40 बैंकों को अनुमति दी गई कि वे रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन बॉन्ड वित्तपोषण का लाभ उठाने के लिए कॉर्पोरेटों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सभी प्रकार की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कॉर्पोरेटों/विशेष प्रयोजन व्हीकलों (एसपीवी) द्वारा जारी बॉन्डों में आंशिक क्रेडिट संवर्धन (पीसीई) प्रदान करें। 18 मई 2017 को समीक्षा करने पर बैंकों को सूचित किया गया कि वे पीसीई प्रदाता की बहियों में पूंजी आवश्यकता को निम्नतम पूंजी संबंधी प्रतिबंधों और उपलब्धियों में अंतर के संदर्भ के बिना पुनः परिकलित किया जाए यदि पुनःआकलित एकल क्रेडिट रेटिंग ने बॉन्ड के जीवन के दौरान किसी भी समय पर बॉन्ड को जारी करने के समय की तदनुरूपी रेटिंग में सुधार दर्शाया हो। इसे सुगम बनाने के लिए यह भी सूचित किया गया था कि कॉर्पोरेट बॉन्डों को हर समय कम से कम दो बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग दी जाएगी और प्रारंभिक तथा बाद की रेटिंग रिपोर्टों में एकल क्रेडिट रेटिंग और संवर्धित क्रेडिट रेटिंग का प्रकटन किया जाएगा। बैंकिंग प्रणाली से किसी बॉन्ड निर्गम के लिए पीसीई की समग्र एक्सपोज़र सीमा को बॉन्ड निर्गम आकार के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया जिसमें अलग-अलग बैंकों के लिए बॉन्ड निर्गम आकार को 20 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ा दिया गया।

III.41 बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे अतिरिक्त टीयर I पूंजी के रूप में शामिल करने के लिए पात्र होने वाली स्थायी ऋण लिखतों (पीडीआई) और टीयर 2 पूंजी के रूप में शामिल करने के लिए पात्र होने वाली ऋण पूंजी लिखतों के प्रयोजन हेतु विदेशों में रुपया मूल्यवर्गांकित बॉन्ड जारी करके निधि जुटाएं जिससे कि विदेशों में रुपया मूल्यवर्गांकित बॉन्डों के लिए बाजार को प्रोत्साहन दिया जा सके तथा भारतीय बैंकों के लिए पूंजी/दीर्घावधि निधि जुटाने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जा सकें। बैंकों को इन्फ्रास्ट्रक्चर और वहनीय आवास के वित्तपोषण के लिए विदेशों में रुपया मूल्यवर्गांकित बॉन्ड जारी करने की भी अनुमति दी गई।

ग्राहक संरक्षण – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता कम करना

III.42 इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के व्यापक उपयोग और अनधिकृत/धोखाधड़ी वाले लेनदेनों के संबंध में बढ़ती शिकायतों के चलते ग्राहकों, विशेषकर जिनकी गलती न हो, की देयता सीमित करने के लिए व्यापक नीति बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। इस संबंध में अनधिकृत/धोखाधड़ी वाले लेनदेनों में ग्राहकों की देयता सीमित करने के लिए जुलाई 2017 में बैंकों को कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए है।

भारतीय लेखांकन मानक (इंडियन एएस) का कार्यान्वयन

III.43 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को निदेश जारी किए गए कि वे 31 मार्च 2018 तथा इसके बाद की अवधियों के तुलनात्मक विवरणों के साथ 1 अप्रैल 2018 से शुरू होने वाली अवधि के लिए तैयार किए जाने वाले वित्तीय विवरणों में भारतीय मानकों का अनुपालन करें। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एग्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) को भी सूचित किया गया कि वे 1 अप्रैल 2018 (पिछले वर्ष के तुलनात्मक विवरणों के साथ) से शुरू होने वाले वित्तीय विवरणों के लिए भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाएं।

विविधतापूर्ण बैंकिंग प्रणाली का निर्माण

III.44 थोक और दीर्घावधि वित्त बैंकों पर एक चर्चा पत्र अप्रैल 2017 में जारी किया गया। इसमें भुगतान बैंकों (पीबी) और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के साथ-साथ इस प्रकार के अन्य विशेषीकृत बैंक स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी गयी हैं।

III.45 सार्वभौमिक बैंकों के लिए ऑन टैप लाइसेंस नीति तथा लघु वित्त और भुगतान बैंकों के लिए दिशानिर्देश जारी करना विजातीय बैंकिंग प्रणाली के निर्माण में एक और कदम है। चूंकि विभिन्न बैंक अलग-अलग तरह से परिचालित हैं, वे अपनी पहुंच, चलनिधि, पूंजीकरण और बाजार क्षमता के आधार पर उपभोक्ता कल्याण में संवर्धन करते हुए व्यापक ग्राहकों को सेवा मुहैया कराने में समर्थ होंगे। लघु क्रेडिट और भुगतान/विप्रेषण सुविधाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2016-17 के दौरान आठ लघु वित्त बैंकों और छह भुगतान बैंकों को लाइसेंस जारी किए जिससे लघु वित्त बैंकों को जारी लाइसेंसों की संख्या 10 और भुगतान बैंकों के लिए 7 हो गई। भुगतान बैंकों को अन्य बैंकों के कारोबारी प्रतिनिधि (बीसी) के रूप में कार्य करने की भी अनुमति दी गई। इसके लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और इन्हें जल्दी ही जारी किया जाएगा। भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए उनके कारोबार की अलग-अलग प्रकृति और वित्तीय समावेशन पर उनके द्वारा ध्यान केंद्रित किए जाने पर विचार करते हुए अक्टूबर 2016 में अलग से परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए गए।

धन शोधन निवारण और आतंकवाद वित्तपोषण के विरुद्ध संघर्ष तथा अपने ग्राहक को जानना

III.46 वित्तीय कार्रवाई कार्यदल[3] (एफएटीएफ) ने धन शोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तपोषण से मुकाबला करने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। एफएटीएफ अपने सदस्यों और अन्य देशों का समय-समय पर पारस्परिक मूल्यांकन करता है। भारत एफएटीएफ का सदस्य है। भारत का पारस्परिक मूल्यांकन वर्ष 2010 में किया गया था। अगला पारस्परिक मूल्यांकन 2020-2021[4] में करना अपेक्षित है।

[3] एफएटीएफ एक अंतर-सरकारी निकाय है जो आतंक के वित्तपोषण, धन शोधन एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को होने वाले अन्य खतरों का सामना करने के लिए किए जाने वाले उपायों के लिए मानक निर्धारित करता है।

[4] http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/assessments/Global-assessment-calendar.pdf

III.47 राष्ट्रीय जोखिम आकलन (एनआरए) का नेतृत्व करना एफएटीएफ के पारस्परिक मूल्यांकन की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे, बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार, नामित गैर-वित्तीय कोराबार व व्यवसाय (डीएनएफबीपी) के जोखिम का आकलन किया जाता है। इस संबंध में, सरकार ने वर्ल्ड बैंक द्वारा बनाई गई कार्य-प्रणाली के आधार पर अपनी प्रमुख एजेंसियों का एक कार्यदल (डब्ल्यूजी) गठित किया है ताकि विभिन्न क्षेत्रों का एनआरए किया जा सके। डब्ल्यूजी को विभिन्न टीमों का सहयोग प्राप्त है जैसे, बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, पूंजी बाजार क्षेत्र, अन्य वित्तीय संस्थाएं, डीएनएफपीबी (नामित गैर-वित्तीय कारोबार व व्यवसाय), वित्तीय समावेशन आदि हेतु गठित टीमें। इस कार्य की शुरूआत में ऐसे क्षेत्रों के आंकड़े जुटाए जाते हैं जहां धन शोधन का खतरा ज्यादा है। और उसके बाद देश को निश्चित जोखिम स्तर के आधार पर एक कार्य योजना बनानी होती है।

III.48 क्षेत्रवार 'बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष खतरों और इसकी सुभेद्यता के आकलन हेतु कार्यदल' का गठन अगस्त 2015 में किया गया था। इस दल की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ बैंक भी इसके सदस्य होते हैं। इस कार्य के लिए आंकड़े, सरकारी एजेंसियों, आरबीआई की विनियमित संस्थाओं एवं आरबीआई के विभिन्न विभागों से प्राप्त किए जा रहे हैं ताकि समग्र बैंकिंग क्षेत्र का व्यापक कवरेज संभव हो सके। इस कार्य के आधार पर, बैंकिंग क्षेत्र की एनआरए रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।

बैंकों और एआईएफआई में क्षमता निर्माण

III.49 क्षमता निर्माण से संबंधित समिति (अध्यक्ष : श्री जी. गोपालकृष्णन) ने मानव संसाधन प्रबंधन से जुड़े समग्र कार्यों के संबंध में विस्तृत अनुशंसाएं की हैं। समिति ने स्टाफ के प्रमाणन के लिए भी बहुत सी अनुशंसाएं की हैं। बैंकों को सूचित किया गया है कि समिति की स्टाफ के प्रमाणन से संबंधित अनुशंसाओं को लागू करने के लिए समग्र नीति दिसंबर 2016 के अंत तक तैयार करें। इस नीति में, उसे लागू किए जाने की राह और निगरानी योजना का समावेश होना चाहिए, जो उनके बोर्ड के पर्यवेक्षण और निगरानी के अधीन हो।

बैंकों के बोर्डों की विशेषज्ञता

III.50 बैंकों के बोर्डों की विशेषज्ञता को बैंकिंग कारोबार की बदलती रूपरेखा के अनुरूप बनाने के लिए वाणिज्य बैंकों (आरआरबी सहित) के बोर्डों में निदेशकों की विशेषज्ञता के क्षेत्रों को विस्तृत किया गया, ताकि उनमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सके : (i) सूचना प्रौद्योगिकी; (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणालियां; (iii) मानव संसाधन; (iv) जोखिम प्रबंधन; एवं (v) इन क्षेत्रों में पेशेवर ज्ञान और अनुभव रखने वाले लोगों को बोर्ड में शामिल करने के लिए कारोबारी प्रबंधन।

III.51 बैंकिंग और प्रौद्योगिकी में तीव्र गति से हो रहे नवोन्मेषों के साथ ही, बैंक की जोखिम अभिशासन संरचना में मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ), मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) एवं मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) जैसे प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के मद्देनजर उनकी न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की गईं, ताकि इन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बैंकों द्वारा पर्याप्त अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों का चयन किया जाए।

शाखा प्राधिकार नीति

III.52 लोक हित और वित्तीय समावेशन के लक्ष्य के अनुरूप शाखा प्राधिकार नीति को समय के साथ अत्यधिक उदार बना दिया गया है। वित्तीय समावेशन की दिशा में एक प्रमुख पहल करते हुए, वर्ष के दौरान, "शाखा" शब्द को "बैंकिंग केंद्र" से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जो भौतिक (ब्रिक एंड मोर्टार) शाखाओं और बिजिनेस कॉरेस्पांडेंट (बीसी) केंद्रों – दोनों को समाहित करता है। इन 'बैंकिंग केंद्रों' में बैंक स्टाफ या उसके बीसी की तैनाती की जा सकती है। इस प्रकार से, संशोधित ढांचे के अंतर्गत 'निर्धारित स्थान वाले बीसी केंद्रों' को भौतिक (ब्रिक एंड मोर्टार) शाखाओं के तुल्य माना गया है। इस संशोधित परिभाषा से बैंक दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कम खर्च से अपने नेटवर्क को विकसित करने में सक्षम बनेंगे। इसके अलावा, बैंकों को उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम और वाम-पंथी

अतिवाद (एलडब्लूई) प्रभावित जिलों के अंतर्गत टिअर 3 से लेकर टिअर 6 केंद्रों में 'बैंकिंग केंद्र' खेलने पर उनको बैंक-रहित ग्रामीण केंद्रों (यूआरसी)[5] में बैंकिंग केंद्र खोले जाने के समतुल्य मानते हुए विशिष्ट प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराए गए हैं। इससे बैंकों को वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक-रहित ग्रामीण केंद्रों (यूआरसी) में 'बैंकिंग केंद्रों' की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत केंद्र खोलने के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलती है।

VI. पर्यवेक्षी नीति

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)

III.53 नवंबर 1994 में गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) ने बैंकों (वाणिज्यिक और सहकारी दोनों), स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों (एलएबी), एआईएफआई, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और प्राथमिक डीलरों (पीडी) को सम्मिलित करते हुए वित्तीय प्रणाली पर एकीकृत पर्यवेक्षक की भूमिका का निर्वहन करना जारी रखा है। जुलाई 2016 से जून 2017 के दौरान, बीएफएस की 11 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, 96 बैंकों और चार एआईएफआई के पर्यवेक्षी आकलन के परिणामों की समीक्षा भी की गयी। संस्था विशिष्ट पर्यवेक्षी चिंताओं पर कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई-योजना निर्धारित करने के अलावा, बीएफएस ने कई विनियामक और पर्यवेक्षी नीतिगत मुद्दों पर मार्गदर्शन भी प्रदान किया।

III.54 बीएफएस के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों के लिए मौजूदा जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई नए कदम उठाए गए। कमीशन लगाए जाने और ग्राहकों द्वारा प्राप्त की गयी विभिन्न सुविधाओं के लिए बैंकों द्वारा प्रभार जैसे क्षेत्रों और पीएसबी में वरिष्ठ स्तर पर होनेवाली अधिवर्षिता प्रवृत्ति पर विषयगत अध्ययन किए गए। आईटी अवसंरचना, सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग और कोर बैंकिंग समाधान से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को वाणिज्यिक बैंकों के साथ साझा किया गया। बीएफएस द्वारा जिन कुछ प्रमुख मुद्दों पर विचार किया गया उनमें कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों में तीव्र सुधार, अनुपालन संस्कृति, अधिक प्रकटन की आवश्यकता, सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए मानदंड, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) की समीक्षा और प्रवर्तन ढांचे शामिल हैं।

जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण संबंधी गतिविधियां

III.55 भारत में कार्यरत बैंकों के लिए जोखिम और पूंजी के आकलन हेतु पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) के तहत वर्ष 2012-13 में प्रारम्भ किये गए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण को चार पर्यवेक्षणीय चक्रों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। यह ढांचा अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रथाओं से प्रेरित है, परंतु रिज़र्व बैंक द्वारा आंतरिक रूप से इसकी अवधारणा तैयार की गयी है और इसे विकसित किया गया है। यह जोखिम-केंद्रित दूरदर्शी दृष्टिकोण है जो एकीकृत जोखिम और प्रभाव स्कोरिंग (आईआरआईएससी) स्वामित्व जोखिम स्कोरिंग और एकत्रीकरण मॉडल का उपयोग करते हुए जोखिम और पूंजी के पर्यवेक्षी आकलन के लिए व्यापक, सुसंगत और उद्देश्यपरक आधार प्रदान करता है। 2016-17 तक भारत में परिचालित सभी एससीबी (आरआरबी और एलएबी को छोड़कर) एसपीएआरसी ढांचे के अंतर्गत लाए गए थे।

III.56 वर्षों से रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता और मजबूती बढ़ाने तथा पर्यवेक्षी सम्प्रेषण में सुधार के लिए कार्य कर रहा है। इसने जोखिम-आधारित दृष्टिकोण और एसपीएआरसी ढांचे के महत्व पर बैंकों को जागरूक करने के लिए क्षमता निर्माण संबंधी अनेक कदम भी उठाए हैं। भारत में एक/दो शाखाओं के परिचालन वाले छोटे विदेशी बैंकों के लिए एक अलग प्रकार के मॉडल का विकास किया गया और समानुपात सिद्धांत से प्रेरित होकर दो वर्षों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया। नए लाइसेंस प्राप्त लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए उपयुक्त ढांचे का विकास किया जा रहा है।

[5] 'बैंक-रहित ग्रामीण केंद्र' (यूआरसी) वह ग्रामीण (टिअर 5एवं 6) केंद्र होता है, जहां पर किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सीबीएस-समर्थित 'बैंकिंग केंद्र' नहीं हो और न ही वहां ग्राहक आधारित बैंकिंग लेनदेन करने के लिए कोई स्थानीय क्षेत्र बैंक या अनुज्ञप्ति प्राप्त सहकारी बैंक की शाखा हो।

बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क

III.57 रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए दिसम्बर 2002 में पीसीए प्रारम्भ किया था। दिसंबर 2014 में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप-समिति (एफएसडीसी-एससी) ने निर्देश दिया कि सभी विनियमित संस्थाओं के लिए पीसीए ढांचे के रूप में एक प्रारंभिक हस्तक्षेप व्यवस्था बनाई जाए। तदनुसार, भारत में वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान व्यवस्था पर कार्य दल (डब्लूजीआरआर) (जनवरी 2014), वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) (मार्च 2013) की सिफारिशों के साथ-साथ सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकों के लिए मौजूदा पीसीए फ्रेमवर्क की व्यापक समीक्षा करने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा एक आंतरिक कार्य दल का गठन किया गया। संशोधित ढांचे के तहत पूंजी, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता निगरानी के लिए प्रमुख क्षेत्र के रूप में बने हुए हैं। इसके अलावा लिवरेज की निगरानी भी की जाएगी। विभिन्न संकेतकों के ट्रिगर में सीआरएआर, निवल एनपीए अनुपात और आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) सहित कॉमन इक्विटी टियर-1 (सीईटी-1) अनुपात शामिल है। कुछ जोखिम सीमाओं को परिभाषित किया गया है, जिसका उल्लंघन होने पर पीसीए लागू होगा और इसके परिणामस्वरूप यथा लागू अनिवार्य और विवेकाधीन कार्रवाई की जाएगी। पीसीए फ्रेमवर्क भारत में कार्यरत सभी बैंकों पर निरपवाद रूप से लागू होगा, जिसमें शाखाओं या अनुषंगियों के माध्यम से संचालित छोटे बैंक और विदेशी बैंक भी शामिल हैं। पीसीए फ्रेमवर्क भारतीय रिज़र्व बैंक को सुधारात्मक कार्यों के अतिरिक्त कोई अन्य ऐसी कार्रवाई करने से नहीं रोकता है, जिसे वह उचित समझता है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर संशोधित पीसीए ढांचे के प्रावधान 1 अप्रैल 2017 से लागू कर दिये गए थें।

सीमा-पार पर्यवेक्षण संबंधी गतिविधियां

III.58 पर्यवेक्षी सहयोग को मजबूत करने के लिए विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ द्विपक्षीय समझौते (एमओयू / पर्यवेक्षी सहयोग पत्र विनिमय (ईओएल) / सहयोग पत्र (एसओसी)) करते हुए रिज़र्व बैंक ने विदेशी अधिकार क्षेत्र के बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकरणों के साथ पर्यवेक्षी सूचना साझा करने और सहयोग के संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब तक, रिज़र्व बैंक ने 43 विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ एमओयू / ईओएल / एसओसी किया है। इसके अलावा, 10 अन्य विदेशी पर्यवेक्षकों के संबंध में पर्यवेक्षी सहकारी व्यवस्था की स्थापना करने के प्रस्ताव विभिन्न चरणों में हैं। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के संबंध में पर्यवेक्षी सूचना को घरेलू पर्यवेक्षी प्राधिकरणों के साथ आवधिक रूप से साझा करने के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान एक ढांचा तैयार किया गया।

III.59 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक लिमिटेड, और पंजाब नेशनल बैंक की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को देखते हुए इनके लिए पर्यवेक्षी कॉलेज स्थापित किए हैं। पर्यवेक्षी कॉलेजों के मुख्य उद्देश्य घरेलू और मेजबान पर्यवेक्षकों के बीच सूचना का आदान-प्रदान और सहयोग बढ़ाना तथा बैंकिंग समूह के जोखिम प्रोफाइल की समझ में सुधार करना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बैंकों का अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण किया जा सके। पर्यवेक्षी कॉलेजों की बैठकें दो वर्ष में एक बार आयोजित की जाती हैं।

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति – विश्राम अवधि का संशोधन

III.60 बैंकों के लिए एससीए की नियुक्ति करने के लिए विश्राम और चक्रानुक्रम नीति को अनिवार्य किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखापरीक्षा कार्यों की परीक्षा नई टीम द्वारा नए परिप्रेक्ष्य के साथ किया जाता है। इस नीति का उद्देश्य लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षित इकाइयों को लेखापरीक्षा सिद्धांतों के अनुपालन से समझौता करने से रोकना भी है। सभी निजी और विदेशी बैंकों को 27 जुलाई 2017 को सूचित किया गया कि किसी विशेष निजी / विदेशी बैंक में अपना चार वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद लेखापरीक्षा फर्म 6 वर्षों की अवधि के लिए उसी बैंक के एससीए के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

ऋण धोखाधड़ी से निपटाने के लिए फ्रेमवर्क

III.61 बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थाओं (एफआई) के 1 अप्रैल 2017 से फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न्स (एफएमआर) की रिपोर्टिंग की शुरुआत करने से बैच प्रोसेस्ड फ्रॉड डेटाबेस को एक्सबीआरएल के माध्यम से वेब आधारित रिपोर्टिंग आर्किटेक्चर में ले जाने की प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी है। बैंक स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग मोड के माध्यम से निर्दिष्ट अवधि के भीतर धोखाधड़ी संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जो धोखाधड़ी संबंधी आंकड़े के शीघ्र प्रसार की सुविधा प्रदान करेगा। बैंक धोखाधड़ी के मामले की गतिविधियों को त्रैमासिक आधार पर अद्यतन करने के बजाय 'जिस रूप में और जब आवश्यक हो' के आधार पर भी करेंगे।

घरेलू विनियामकों का अंतर-विनियामक फोरम (आईआरएफ)

III.62 वित्तीय संगुटों (एफसी) की निगरानी के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति (एफएसडीसी-एससी) के अनुमोदन से घरेलू विनियामकों के अंतर-विनियामक फोरम (आईआरएफ) की स्थापना की गई। आईआरएफ में अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों / पर्यवेक्षकों का प्रतिनिधित्व है। एफसी के पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने और प्रणालीगत स्थिरता के जोखिमों का आकलन करने के लिए सहयोग की प्रक्रिया और सूचना के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने हेतु समकक्ष विनियामकों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

III.63 कम से कम दो वित्तीय बाज़ार सिगमेंट में मौजूद प्रत्येक एफसी समूह के लिए, आईआरएफ द्वारा उस प्रधान विनियामक (पीआर) के साथ सम्प्रेषण और अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए एफसी की ओर से नोडल इकाई के रूप में कार्य करने के लिए एक नामित संस्था (डीई) की पहचान की जाती है जिसके अधिकार क्षेत्र में नामित संस्था आती है। एफसी निगरानी ढांचे के तहत समेकित पर्यवेक्षण के लिए पीआर पूरी तरह से जिम्मेदार है। आईआरएफ समन्वित निगरानी में शामिल हैं i) एफसी की नामित संस्था और प्रमुख समूह संस्थाओं के साथ सभी विनियामकों की आवधिक चर्चा बैठक; और ii) एफसी के प्रधान विनियामक को त्रैमासिक ऑफ-साइट विवरणी (एफ़आईएनसीओएन विवरणी) प्रस्तुत करना।

III.64 वर्तमान में, आईआरएफ ने वित्तीय क्षेत्र के दो या दो से अधिक क्षेत्रों में भारतीय वित्तीय क्षेत्र में 11 एफसी के एक समूह की पहचान उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति के आधार पर की है। इनमें पांच बैंकों के नेतृत्व वाले एफसी, चार बीमा कंपनी के नेतृत्व वाली एफसी और दो प्रतिभूति कंपनी के नेतृत्व वाली एफसी शामिल हैं।

पर्यवेक्षी प्रवर्तन फ्रेमवर्क

III.65 एक एकीकृत और सुस्पष्ट पर्यवेक्षी प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अनुपालन न करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्यवेक्षी प्रवर्तन ढांचे को वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। इस ढांचे को रिज़र्व बैंक में प्रवर्तन कार्रवाई को पारदर्शी बनाने, अनुमान लगाने योग्य, मानकीकृत, सतत और समय पर लागू की जाने योग्य और बैंकिंग प्रणाली में विनियामक ढांचे के साथ समग्र अनुपालन के सुधार में भी मदद करनी चाहिए।

III.66 जैसा कि वर्ष 2016-17 के छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किया गया था, यह निर्णय लिया गया कि रिज़र्व बैंक में ठोस ढांचा तैयार करने और प्रवर्तन कार्रवाई के लिए प्रक्रियाएं विकसित करने के उद्देश्य से एक अलग प्रवर्तन विभाग स्थापित किया जाए। 3 अप्रैल 2017 को प्रवर्तन विभाग (ईएफडी) ने कार्य करना शुरू कर दिया।

VII. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

III.67 बैंकों की पूरक और प्रतिस्पर्धी बनकर और वित्तीय मध्यस्थता के कार्य में दक्षता और विविधता लाते हुए एनबीएफसी भारतीय वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रिज़र्व बैंक का विनियमन उन कंपनियों पर भी लागू होता है जो गैर बैंकिंग वित्तीय क्रियाकलाप जैसे उधार देने, निवेश करने और जमा स्वीकार करने का कार्य प्रमुख रूप से करती हैं। तथापि, विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्था मुख्य रूप से उन एनबीएफसी के लिए नरम विनियमन के साथ सीमित रहते हुए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेने वाली एनबीएफसी (₹ 5 बिलियन और अधिक के आस्ति आकार वाले) और जमाराशि स्वीकार

करने वाली एनबीएफ़सी पर अधिक केन्द्रित है। एनबीएफआई गतिविधियां करने वाली संस्थाओं की कुछ श्रेणियों को रिज़र्व बैंक के विनियमन से छूट दी जाती हैं, क्योंकि वे अन्य विनियामक द्वारा विनियमित की जा रही हैं। इनमें आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां, मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां और वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) शामिल हैं जिन्हें अक्सर 'शैडो बैंकिंग प्रणाली' कहा जाता है (बॉक्स III.1)।

बॉक्स III.1: शैडो बैंकिंग का सीमित मापदंड

'शैडो बैंक' शब्द 2007 में पॉल मैककली द्वारा परिपक्वता अवधि में बदलाव करने में लगे अमेरिकी गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों के संदर्भ में गढ़ा गया था। शैडो बैंकिंग की एक औपचारिक परिभाषा एफएसबी ने नियमित बैंकिंग प्रणाली से इतर संस्थाओं और गतिविधियों से जुड़ी क्रेडिट मध्यस्थता के रूप में दी थी

शैडो बैंकिंग प्रणाली में हो रहे विकास को चिह्नित करने के लिए एफएसबी 2011 से द्विस्तरीय दृष्टिकोण के तहत एक वार्षिक निगरानी अभ्यास आयोजित कर रहा है – पहला, सभी गैर-बैंक क्रेडिट मध्यस्थता पर विचार करते हुए नेट वाइड करने के लिए जिससे उन सभी क्षेत्रों के लिए डेटा एकत्रण और निगरानी कवर सुनिश्चित किया जाए जिन क्षेत्रों में वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम मुख्य रूप से उत्पन्न हो सकता है, और इसके बाद, नीतिगत उद्देश्यों के लिए गैर-बैंक क्रेडिट मध्यस्थता के उपसमुच्चय तक फोकस को सीमित करना जहां प्रणालीगत जोखिम की संभावना को बढ़ाने वाली गतिविधियां होती हैं और विनियामक मध्यस्थता के संकेत होते हैं। संकुचित करने वाली यह कार्यपद्धति 2013 में प्रकाशित शैडो बैंकिंग संस्थाओं की निगरानी और विनियमन को मजबूत करने के लिए एफएसबी के उच्च स्तरीय नीतिगत फ्रेमवर्क पर आधारित है।

संकुचित करने वाली कार्यपद्धति के अनुसार गैर-बैंक वित्तीय संस्थाओं को पांच आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में वर्गीकृत किया जाता है: (1) उन विशेषताओं सहित सामूहिक निवेश माध्यम का प्रबंधन जो उन्हें चलाने के लिए ग्रहणशील बनाते हैं; (2) वे ऋण प्रावधान जो अल्पकालिक वित्त पोषण पर निर्भर हैं; (3) बाजार की गतिविधियों की वह मध्यस्थता जो अल्पकालिक वित्त पोषण पर या ग्राहक आस्तियों के प्रतिभूतिकृत वित्त पोषण पर निर्भर करती है; (4) क्रेडिट सृजन की सुविधा (उदाहरण के लिए क्रेडिट बीमा के माध्यम से); और (5) प्रतिभूतिकरण-आधारित क्रेडिट मध्यस्थता और वित्तीय संस्थाओं के वित्त पोषण। शैडो बैंकिंग के सीमित मापदंड में बैंक, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और केंद्रीय बैंक शामिल नहीं हैं (सारणी 1)।

एफएसबी की शैडो बैंकिंग निगरानी रिपोर्ट 2016 के अनुसार, आर्थिक दृष्टिकोण के तहत शैडो बैंकिंग के रूप में वर्गीकृत वित्तीय संस्थाओं की कुल वित्तीय आस्तियां मामूली रूप से 3 प्रतिशत बढ़ीं, अर्थात् 27 क्षेत्राधिकारों में 2015 के अंत तक 34.2 ट्रिलियन थी। सबसे बड़ा शैडो बैंकिंग क्षेत्र अमेरिका में है जो कुल वित्तीय आस्तियों का 40 प्रतिशत है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरो क्षेत्राधिकारों में 2015 के अंत में कुल वैश्विक शैडो बैंकिंग का 65 प्रतिशत रहा।

सारणी 1 : आर्थिक कार्यकलाप पर आधारित शैडो बैंकों का वर्गीकरण

आर्थिक कार्य	परिभाषा	संस्था का प्रकार	समकक्ष भारतीय संस्था
ईएफ 1	उन विशेषताओं सहित सामूहिक निवेश के माध्यमों का प्रबंधन जो उन्हें चलाने के लिए ग्रहणशील बनाते हैं	नियत आय निधि, मिश्रित निधि, क्रेडिट हेज निधि, रियल एस्टेट निधि	
ईएफ 2	ऋण प्रावधान जो अल्पकालिक वित्त पोषण पर निर्भर हैं	वित्त कंपनियां, लीज़िंग कंपनियां, फैक्टरिंग कंपनियां, उपभोक्ता ऋण कंपनियां	एनबीएफसी, एचएफसी
ईएफ 3	बाजार की गतिविधियों की वह मध्यस्थता जो अल्पकालिक वित्त पोषण पर या ग्राहक आस्तियों के प्रतिभूतिकृत वित्त पोषण पर निर्भर करती है	ब्रोकर-डीलर्स	
ईएफ 4	क्रेडिट सृजन की सुविधा	क्रेडिट बीमा कंपनियां, वित्तीय गारंटीकर्ता, मोनोलाइंस	बंधक गारंटी कंपनियां
ईएफ 5	प्रतिभूतिकरण-आधारित क्रेडिट मध्यस्थता और वित्तीय संस्थाओं के वित्त पोषण।	प्रतिभूतिकरण के माध्यम	प्रतिभूतिकरण/ पुनर्निर्माण कंपनियां

आर्थिक कार्यकलाप दृष्टिकोण के आधार पर, ईएफ 1 विश्व स्तर पर पांच आर्थिक कार्यकलापों में सबसे बड़ा था, जो 2015 के अंत में 22.2 ट्रिलियन डॉलर की आस्तियों या सीमित मापदंड के 65 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता था। ईएफ 3 दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक कार्यकलाप था जो सीमित मापदंड का 11 प्रतिशत था, इसके बाद ईएफ 5 (9 प्रतिशत), ईएफ 2 (8 प्रतिशत) और ईएफ 4 (0.4 प्रतिशत) का स्थान था।

भारत में, पांच आर्थिक कार्योंकलापों के ईएफ 2 का हिस्सा 99.7 प्रतिशत था।

संदर्भ:

एफएसबी (2013), पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेन्द्रिंग ओवरसाइट एंड रेग्युलेशन ऑफ शैडो बैंकिंग एंटीटीज़,अगस्त।

एफएसबी (2017), ग्लोबल शैडो बैंकिंग मोनिटरिंग रिपोर्ट 2016, मई।

एनबीएफसी की नई श्रेणियां

III.68 एनबीएफसी क्षेत्र परिचालन, विविधता, आस्ति गुणवत्ता व लाभप्रदता, और विनियामक संरचना के मामले में काफी विकसित हुआ है। रिज़र्व बैंक एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों के समेकन पर काम कर रहा है। वर्तमान में, एनबीएफसी[6] की 12 श्रेणियां हैं। इनमें नवीनतम श्रेणी एनबीएफसी-समकक्षीय उधार प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी-पी2पी) है।

III.69 एनबीएफसी-पी2पी संबंधी दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक द्वारा अक्तूबर 2017 में जारी किए गए। रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के रूप में समकक्षीय उधार (पी2पी) लेंडिंग प्लेटफॉर्म के विनियमन पर एक चर्चा पत्र जारी किया था। सरकार ने 18 सितंबर 2017 को पी2पी को एनबीएफसी गतिविधि के रूप में अधिसूचित किया जिसके बाद 4 अक्टूबर 2017 को विनियम जारी किए गए। नए विनियमों से भारत में क्राउड फंडिंग में एक बड़ा बदलाव आने की संभावना है।

एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क

III.70 नवंबर 2014 में एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा तैयार किया गया था, जिसके बाद बैंकिंग और गैर-बैंकिंग विनियमों के बीच अंतर को कम करने के लिए विनियामक दिशा-निर्देश जारी किए। वर्ष में एनबीएफसी के बीच सुचारु अनुपालन संस्कृति को सुगम बनाने के लिए जोखिम के निपटान, विनियामक मध्यस्थता को कम करने और सरल बनाने के नियमों पर ध्यान देते हुए संशोधित ढांचे में समेकन देखने को मिला। ऐसे कुछ उपायों को नीचे दिया गया है :

- इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड-एनबीएफसी (एनबीएफसी-आईडीएफ) को पहले कम से कम पांच वर्ष की परिपक्वता के बॉन्ड जारी करने के माध्यम से संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई थी। आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) की प्रभावकारिता में सुधार के लिए एनबीएफसी-आईडीएफ को 21 अप्रैल 2016 को अपने कुल बकाया उधारी के 10 प्रतिशत तक घरेलू बाजार से अल्पकालिक बॉन्ड और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) के माध्यम से निधि जुटाने की अनुमति दी गई थी।
- 28 जुलाई 2016 से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध कराये जाने वाले राहत उपायों से संबंधित दिशानिर्देश को एनबीएफसी तक विस्तारित कर दिया गया।

III.71 एनबीएफसी-एमएफआई के परिचालन संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए और क्रेडिट की कीमत निर्धारण संबंधी अन्य शर्तों के साथ तालमेल रखने के लिए एनबीएफसी-एमएफआई को 2 फरवरी 2017 को सूचित किया गया कि ऋण पर ब्याज दर की गणना के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान औसत उधार की लागत और मार्जिन का उपयोग करने की बजाय पूर्ववर्ती तिमाही के औसत उधार की लागत और मार्जिन का इस्तेमाल किया जाए।

III.72 6 जुलाई 2017 से प्रभावी, एनपीएस के तहत कवरेज को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए कुछ शर्तों के अधीन, ₹5 बिलियन करोड़ और इससे अधिक की आस्ति वाली एनबीएफसी के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की मार्केटिंग और वितरण नेटवर्क का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जनता से उनके द्वारा एकत्र की गई एनपीएस सदस्यता राशि लेने के दिन (टी+0 आधार पर, जहां टी नकदी या किसी अन्य प्रकार से समाशोधित निधियों की प्राप्ति की तिथि) ही जमा की जाती है।

III.73 एनबीएफसी अपने कुछ परिचालनों को निरंतर आधार पर तेजी के साथ आउटसोर्स कर रही हैं। इस प्रक्रिया मेंएनबीएफसी को रणनीतिक जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, अनुपालन जोखिम, परिचालन जोखिम, विधिक जोखिम, निकास रणनीति जोखिम, प्रतिपक्षी जोखिम, देश जोखिम, संविदात्मक जोखिम, पहुंच जोखिम, एकाग्रता और प्रणालीगत जोखिम जैसे विभिन्न

[6] एनबीएफसी को 12 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, अर्थात, 1) आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी); 2) लोन कंपनी (एलसी); 3) निवेश कंपनी (आईसी); 4) कोर निवेश कंपनी (सीआईसी); 5) फैक्टरिंग - एनबीएफसी; 6) अवसंरचना ऋण निधि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आईडीएफ - एनबीएफसी); 7) अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी); 8) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सूक्ष्म वित्त संस्था (एनबीएफसी-एमएफआई); 9) नॉन-ऑपरेटिव वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी); 10) बंधक गारंटी कंपनियों (एमजीसी); 11) एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर (एए) और एनबीएफसी-समकक्षीय उधार प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी-पी2पी)

जोखिमों का सामना करना पड़ता है। आउटसोर्सिंग गतिविधियों से संबंधित जोखिमों से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए "जोखिम का प्रबंधन करना और एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग में आचार संहिता" 9 नवंबर 2017 को जारी की गयी। इन निर्देशों के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत ये हैं कि विनियमित संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि आउटसोर्सिंग की व्यवस्था से न तो ग्राहकों के प्रति उनके दायित्वों को पूरा करने की क्षमता कम होती है और न ही रिज़र्व बैंक द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण में बाधा आती है। एनबीएफसी को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे कि सेवा प्रदाता उसी प्रकार के उच्च स्तर के मानक की सेवाएँ उपलब्ध कराता है जिस प्रकार की सेवाएँ एनबीएफसी द्वारा प्रदान की जानी अपेक्षित हैं, यदि एनबीएफसी के भीतर ही गतिविधियां की जातीं न कि आउटसोर्स के माध्यम से। तदनुसार, एनबीएफसी ऐसी आउटसोर्सिंग में संलिप्त नहीं होंगी जिसके परिणामस्वरूप उनके आंतरिक नियंत्रण, कारोबार आचरण या प्रतिष्ठा से समझौता हो रहा हो या कमजोर किया जा रहा हो।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी)

III.74 वर्तमान में देश में 24 एआरसी हैं जिनका वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम 2002) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है। प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि और विविध प्रावधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (संशोधन अधिनियम) के माध्यम से अगस्त 2016 में सरफेसी अधिनियम 2002 में किए गए संशोधन के तहत "प्रतिभूतिकरण कंपनी" और "पुनर्निर्माण कंपनी" को एआरसी के रूप में जाना जाएगा। इस संशोधन के माध्यम से सामने आई कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार एआरसी के रूप में प्रायोजक का एक उपयुक्त और उचित व्यक्ति होना आवश्यक है;

ii. एआरसी को अपने निदेशक मंडल में किसी निदेशक या प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

iii. गैर-संस्थागत निवेशकों को शामिल करके प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश के माध्यम से निधियन को विस्तारित किया गया है जो कि रिज़र्व बैंक द्वारा सेबी के साथ परामर्श से निर्दिष्ट किया जा सकता है।

iv. निम्नलिखित के संबंध में निर्देश बनाने के लिए रिज़र्व बैंक की सांविधिक शक्तियां दी गयीं- (i) शुल्क और अन्य प्रभार जो किसी भी एआरसी द्वारा प्राप्त वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिए लगाए जाते हैं या खर्च किए जाते हैं और (ii) अर्हताप्राप्त खरीदारों द्वारा जारी किए गए एसआर के हस्तांतरण को मजबूत करना।

v. एआरसी की लेखापरीक्षा और निरीक्षण करने के लिए रिज़र्व बैंक को सशक्त बनाया गया है। इसे एआरसी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष या किसी भी निदेशक को हटाने या अतिरिक्त निदेशकों को नियुक्त करने या ऐसे एआरसी के निदेशक मंडल के कामकाज का निरीक्षण करने के लिए एक पर्यवेक्षक के रूप में किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार भी दिया गया है।

vi. रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए किसी निर्देश के अनुपालन में विफल रहने वाले एआरसी पर जुर्माना की राशि काफी हद तक बढ़ा दी गई है।

vii. एआरसी पर दंड लगाने के लिए रिज़र्व बैंक को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण दोनों के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

viii. एआरसी सहित कोई भी प्रतिभूतिकृत लेनदार, सरफेसी अधिनियम, 2002 के अध्याय III के तहत प्रतिभूतियों के प्रवर्तन के अधिकारों का उपयोग करने का हकदार नहीं हैं, जब तक कि उधारकर्ता द्वारा इनके पक्ष में बनाए गए सुरक्षा हित केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत नहीं किया गया हो।

III.75 दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान करने में एआरसी के लिए परिकल्पित बड़ी भूमिका को ध्यान में रखते हुए एआरसी के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि आवश्यकता रिज़र्व बैंक

द्वारा 28 अप्रैल 2017 से रु. 0.02 बिलियन से बढ़ाकर रु.1 बिलियन कर दी गयी। वर्ष 2015-16 में 15 एआरसी और 2016-17 में 10 एआरसी का निरीक्षण किया गया।

विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों में सामंजस्य

III.76 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एनबीएफसी-एमएफआई) को दिसंबर 2011 में एनबीएफसी की एक नई श्रेणी के रूप में प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान, कई नई एनबीएफसी-एमएफआई पंजीकृत हुईं और इस क्षेत्र ने कुल आस्तियों में अच्छी वृद्धि दर्शायी। इसलिए, इन कंपनियों के लिए एक निरीक्षण प्रणाली की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, वर्ष 2015-16 के दौरान 46 एमएफआई का और 2016-17 में 36 एमएफआई का निरीक्षण किया गया।

III.77 30 मार्च 2017 को एनबीएफसी के लिए एक औपचारिक पीसीए फ्रेमवर्क की शुरुआत की गयी। इस ढांचे में एनबीएफसी के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की परिकल्पना की गयी है जो पूंजीगत शक्ति, लाभप्रदता या आस्ति गुणवत्ता के मामले में एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति में कमजोरी का प्रदर्शन होने के बाद लागू हो जाएगी। पीसीए के तहत लायी गयी एनबीएफसी को एक सुधारात्मक योजना तैयार करने और लागू करने की आवश्यकता होगी।

III.78 एनबीएफसी के लिए एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क 8 जून 2017 को जारी किया गया था जिसमें आईटी शासन, सूचना और साइबर सुरक्षा, आईटी जोखिम मूल्यांकन, परिवर्तन प्रबंधन, आईएस लेखापरीक्षा, कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आईटी सेवाएं आउटसोर्सिंग पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (रु. 5 बिलियन से अधिक आस्ति आकार) के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों को 30 जून 2018 तक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी द्वारा अपनाया जाना है। इनके साथ ही, छोटे एनबीएफसी (रु. 5 बिलियन से कम आस्ति आकार) के लिए आईटी दिशानिर्देशों का एक अलग और सरल सेट भी जारी किया गया था जिसमें बीसीपी, रिटर्न दाखिल करने की पर्याप्तता, प्रबंधन सूचना प्रणाली और उपयोगकर्ता नीतियां शामिल हैं।

VIII. बैंकों में ग्राहक सेवा / ग्राहक संरक्षण

III.79 उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल ग्राहक अधिकार-पत्र का परिचालन था। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अधिकार-पत्र की भावना को बनाए रखते हुए या तो एक विशेष ग्राहक अधिकार नीति तैयार करने या बोर्ड के अनुमोदन से अधिकार-पत्र और इसके सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिए मौजूदा ग्राहक सेवा नीतियों से उपयुक्त सामंजस्य रखने का सलाह दिया था । वर्ष 2016-17 के दौरान, सभी बैंकों ने पुष्टि की कि ग्राहक अधिकार-पत्र के सिद्धांतों को शामिल करने के लिए उनकी ग्राहक सेवा नीतियां को तदनुसार ठीक कर दी गईं। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के परामर्श से रिज़र्व बैंक ने बैंकों के ग्राहकों द्वारा सामान्य तौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले 10 फॉर्मों की समीक्षा की और उन्हें मानकीकृत भी किया। आईबीए ने वर्ष के दौरान कार्यान्वयन के लिए इन फॉर्मों के मानक नमूनों को बैंकों को जारी किया।

III.80 अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को निर्धारित करने के लिए मापदंडों की समीक्षा करने के बाद ग्राहक संरक्षण संबंधी अंतिम दिशानिर्देश - ग्राहकों की देयता को सीमित करते हुए – 6 जुलाई 2017 को जारी किए गए। चेक आहरण सुविधा का दुरुपयोग रोकने की आवश्यकता और चेक के गैर-इरादतन अनादरण के लिए ग्राहकों को दंडित करने से रोकने को ध्यान में रखते हुए सभी एससीबी (आरआरबी समेत) को चेक के अनादरण के संबंध में बोर्ड या इसकी समिति द्वारा अनुमोदित एक उपयुक्त और पारदर्शी नीति बनाने सलाह दी गयी। बैंकों को पासबुक और / या खातों के विवरणों में लेनदेन के पर्याप्त प्रासंगिक विवरण प्रदान करने और पासबुक में कवरेज की सीमा के साथ जमाराशि बीमा कवर के बारे में जानकारी शामिल करने की सलाह दी गयी थी।

बैंकिंग लोकपाल योजना का संशोधन

III.81 बैंकिंग लोकपाल (बीओ) योजना की व्यापक समीक्षा 2015-16 में की गई थी एवं बीओ के आर्थिक क्षेत्राधिकार, मिस-सेलिंग और इलेक्ट्रॉनिक व मोबाइल बैंकिंग के संबंध में क्षतिपूर्ति और शिकायत का अतिरिक्त आधार प्रारम्भ किए जाने संबंधी परिवर्तन शामिल करते हुए संशोधित योजना 1 जुलाई 2017 को

लागू की गई। रिज़र्व बैंक ने देहरादून, जम्मू, रांची, रायपुर में बीओ के पांच नए कार्यालय खोले और नई दिल्ली में एक अतिरिक्त कार्यालय भी शुरू किया। अब बीओ कार्यालयों की कुल संख्या 20 तक हो गई है।

III.82 रिज़र्व बैंक एनबीएफसी के लिए एक लोकपाल योजना की स्थापना की प्रक्रिया में है, जो शुरू में सभी जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफ़सी और उन ग्राहक इंटरफेस व ₹1 बिलियन और अधिक की आस्ति आकार वालों को भी शामिल करेगा। एआरसी, अवसंरचना वित्त कंपनियों, अवसंरचना ऋण निधियों, कोर निवेश कंपनियों और एनबीएफसी फैक्टर को इस समय इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। अनुभव के आधार पर, समय-समय पर लोकपाल योजना के कार्य-क्षेत्र की समीक्षा की जाएगी।

शिकायत प्रबंधन प्रणाली

III.83 बीओ के कार्यालयों में शिकायतों को प्राप्त करने के अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक भी प्रत्येक कार्यालय में स्थापित उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कक्ष (सीईपीसी) के माध्यम से विनियमित संस्थाओं के खिलाफ उनके ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त करता है। रिज़र्व बैंक ने शिकायत की बढ़ती हुई मात्रा का प्रबंध करने हेतु आईटी का उपयोग करने के लिए एक व्यापक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) की स्थापना शुरू कर दी है। बेहतर समन्वय और प्रभावशीलता लाने के लिए यह वेब-आधारित एप्लिकेशन रिज़र्व बैंक में शिकायत निवारण तंत्र को एकल आईटी प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करेगा और रिज़र्व बैंक को शिकायतों के अधिक कुशल प्रबंधन में मदद करेगा तथा साथ ही एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) भी प्रदान करेगा।

III.84 बैंकों की शाखाओं में बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेने से वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों को हतोत्साहित करने या दूर करने की रिपोर्ट मिलने पर बैंकों को निर्देश दिए गए कि वे ऐसे व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पष्ट तंत्र तैयार करें ताकि वे ऐसा न महसूस करें कि उन्हें हाशिये पर रखा गया है। इस संबंध में नवंबर 2017 में निर्देश जारी कर दिए गए।

IX. भुगतान और निपटान प्रणाली

III.85 वर्ष 2016-17 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को व्यापक रूप से अपनाने से कम-नकदी समाज की ओर अग्रसर होने के रिज़र्व बैंक के निरंतर प्रयासों की गति बढ़ गई। भुगतान परिदृश्य में प्रौद्योगिकी की तेजी से प्रगति और नए विकास व नवाचारों के आगमन से रिज़र्व बैंक ने क्रिटिकल और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान और निपटान प्रणालियों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भुगतान प्रणाली की सुरक्षा और समुत्थानशीलता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया।

साइबर जोखिम और साइबर सुरक्षा

III.86 रिज़र्व बैंक ने प्रमुख बैंकों की साइबर जोखिम समुत्थानशीलता और प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए उनका व्यापक आईटी परीक्षण किया। रिज़र्व बैंक एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्था - रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (रेबिट) भी स्थापित कर रहा है – जो केवल केंद्रीय बैंक और उसकी विनियमित संस्थाओं की साइबर सुरक्षा जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करेगी। रेबिट ये कार्य करेगी (i) साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान (ii) रिज़र्व बैंक को आरटीजीएस और एनईएफटी सहित इसके नेटवर्क की निगरानी में मदद (iii) रिज़र्व बैंक को नियमित निरीक्षण के दौरान बैंकों के कंप्यूटर सिस्टम और उनके साइबर सुरक्षा तंत्र की निगरानी में मदद और; (iv) साइबर सुरक्षा पर रिज़र्व बैंक के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू करना। रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर दिशानिर्देश 2 जून 2016 को जारी किए गए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि बैंकों में उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित साइबर सुरक्षा नीति, साइबर संकट प्रबंधन योजना, अंतराल आकलन की तुलना में दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट बेसलाइन आवश्यकताएं, मजबूत वेंडर जोखिम प्रबंधन और असामान्य साइबर सुरक्षा घटनाओं की 2-6 घंटे के भीतर रिपोर्टिंग होना आवश्यक है। अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा / उभरती हुई प्रौद्योगिकी में निहित खतरों की समीक्षा करने, विभिन्न सुरक्षा मानकों / प्रोटोकॉल को अपनाने और हितधारकों के साथ इंटरफेस और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और आघात-सहनीयता के लिए उपयुक्त नीति हस्तक्षेप का सुझाव देने के लिए साइबर सुरक्षा पर एक अंतर-विषयक स्थायी समिति गठित की जा रही है।

भुगतान प्रणाली

III.87 व्यापार प्राप्तियाँ और बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) कई वित्तीय कंपनियों के माध्यम से कॉर्पोरेट खरीदारों से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक संस्थागत तंत्र है। तीन संस्थाएं: रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई स्ट्रैटेजिक इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा बनाई गई), माइंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और ए. टीआरईडीएस लिमिटेड (एक्सिस बैंक और एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम) को अंतिम प्राधिकार प्रमाणपत्र जारी किया गया और उन्होंने परिचालन शुरू कर दिया है। इन प्रणालियों से उत्पन्न होने वाले निपटान दायित्वों का निपटान करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) में मेनी-टु-मेनी निपटान की सुविधा भी दी गई है।

III.88 नवम्बर 2, 2017 तक 55 गैर-बैंक संस्थाओं और 56 बैंकों को प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) के लिए भुगतान प्रणाली जारी करने और संचालित करने की अनुमति दी गयी है। इस क्षेत्र में हुए विकास के आलोक में और नवाचार एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने , सरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्राहक संरक्षण, *इत्यादि,* को ध्यान में रखते हुए , पीपीआई के निर्गमन और परिचालन से संबंधित सभी अनुदेशों की व्यापक समीक्षा की गई और इस विषय पर मास्टर निदेश (एमडी) 11 अक्टूबर 2017 जारी किए गए। एमडी गैर-बैंक पीपीआई सहित पीपीआई के अंतर-परिचालन के कार्यान्वयन के लिए मार्ग प्रदान करता है।

III.89 मोबाइल बैंकिंग लेनदेन के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), ग्राहकों के लिए परिचालन की सुविधा का दोहरा लाभ प्रदान करता है (भुगतान करने / प्राप्त करने के लिए बैंक खातों के विवरण के बजाय सिर्फ एक पंजीकृत वर्चुअल पता प्रदान करना) और मर्चेन्ट 'पुल' भुगतानों को सक्षम करता है। यह एप्लिकेशन-आधारित है और इंटरनेट की सुविधा वाले स्मार्टफोन पर प्रयोग करने योग्य है। वर्ष के दौरान एनपीसीआई को यूपीआई के लिए लाइव होने के लिए अनुमोदन दिया गया। एनपीसीआई को यूएसएसडी 2.0 (*99#) मोबाइल बैंकिंग सुविधा (जिसे किसी भी हैंडसेट पर इस्तेमाल किया जा सकता है और ग्राहकों द्वारा इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है) प्रारम्भ करने का अनुमोदन प्रदान किया गया जो यूपीआई के साथ एकीकृत है।

III.90 भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए विज़न-2018 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक और देश में अभिनव भुगतान समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए सितंबर 2016 में देश में अधिकृत कार्ड नेटवर्क के लिए निर्देश जारी किए गए ताकि क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) आधारित कार्ड भुगतान की अंतर-परिचालन को सक्षम किया जा सके। इसके बाद, यूपीआई वर्चुअल एड्रेस, आधार संख्या और खाता संख्या + आईएफएससी के आधार पर भुगतान की सुविधा के लिए क्यूआर कोड आधारित स्वीकृति बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया। इसे फरवरी 2017 में भारत क्यूआर के रूप में शुरू किया गया।

III.91 व्यापारी केंद्रों पर आधार से जुड़े बैंक खातों का उपयोग करके ग्राहकों को डिजिटल भुगतान करने के लिए एक चैनल प्रदान करने हेतु भीम-आधार पे की प्रायोगिक शुरुआत करने के लिए एनपीसीआई को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया। भीम-आधार पे स्मार्टफोन-आधारित एप्लिकेशन है। लेनदेन को मौजूदा आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के एक हिस्से के रूप में संसाधित किया जाता है, जिसमें उन्हें एक विशिष्ट लेनदेन प्रकार आबंटित किया जाता है।

III.92 प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और ग्राहकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली में आधे घंटे के अंतराल पर अतिरिक्त निपटानों को 10 जुलाई 2017 को जोड़ा गया। आधे घंटे के निपटान निधि अंतरण प्रक्रिया को गति देते हैं और गंतव्य खातों में अधिक तेजी से क्रेडिट प्रदान करते हैं।

X. बैंकिंग क्षेत्र विधान

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017

III.93 बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 ने बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1949 में संशोधन किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ केंद्र सरकार को दिवाला

और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत किसी चूक के मामले में दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी बैंकिंग कंपनी या कंपनियों को निर्देश जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक को अधिकृत करने की शक्ति प्रदान की गई है।

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन

III.94 वित्त अधिनियम, 2017 ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया। संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के तहत भुगतान विनियामक बोर्ड के माध्यम से रिज़र्व बैंक मौजूदा भुगतान और निपटान के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड के स्थान पर भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण से संबंधित कार्य करेगा। नए बोर्ड के अध्यक्ष रिज़र्व बैंक के गवर्नर होंगे।

विनिर्दिष्ट बैंक नोट (देयताओं की समाप्ति) अधिनियम,2017

III.95 अन्य बातों के साथ-साथ यह अधिनियम विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन)[7] के संबंध में रिज़र्व बैंक या केंद्र सरकार की देयताओं को समाप्त करने, एसबीएन का विनिमय और एसबीएन को रखने, अंतरण करने या प्राप्त करने से निषेध और दंड *आदि* का प्रावधान करता है।

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016

III.96 आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या आधार, जिसे आधार कहा जाता है, मुहैया कराकर भारत में रहने वाले व्यक्तियों को सब्सिडी और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी प्रदान करता है।

XII. समग्र मूल्यांकन

III.97 वर्ष के दौरान, देश में स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली के लिए संस्थागत ढांचे में सुधार पर जोर दिया जाना जारी रहा। प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों की समस्या से निपटने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया था। रिज़र्व बैंक की जोखिम आधारित पर्यवेक्षी प्रक्रिया कमजोर ऋण अनुशासन और उपचारात्मक कार्यों से उत्पन्न होने वाले जोखिम को फ्लैग करती है। रिज़र्व बैंक में नया प्रवर्तन विभाग विधि, नियमों और निदेशों के उल्लंघन से निपटने के लिए नियम आधारित, सुसंगत ढांचा विकसित कर रहा है। ऐसी आशा की जा रही है कि इस तरह की कार्रवाइयों के माध्यम से किए गए प्रतिवारक उपायों से समग्र क्रेडिट संस्कृति को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। पीसीए प्रणाली जिसके तहत रिज़र्व बैंक द्वारा उस स्थिति में विशिष्ट विनियामक कार्रवाइयां की जाती हैं यदि बैंक ट्रिगर पॉइंट का उल्लंघन करते हैं, इसे समय पर पर्यवेक्षी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया गया।

III.98 भुगतान और निपटान प्रणाली को अधिक मजबूत करने और ग्राहक-अनुकूल बनाने तथा भुगतान लेनदेन को नकद / पेपर मोड से इलेक्ट्रॉनिक मोड में करने के लिए महत्वपूर्ण नीति उपाय शुरू किए गए। वर्ष 2017-18 के दौरान इंड एएस और बासेल III का ढांचा कार्यान्वयन के क्षेत्र होंगे। रिज़र्व बैंक वित्तीय साक्षरता स्तर में सुधार के लिए भी उपायों की परिकल्पना करता है जिसमें वित्तीय साक्षरता सलाहकारों और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखा प्रमुखों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के टियर II को लागू करना शामिल है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक का ध्यान प्रणालीगत जोखिमों और वैश्विक वित्तीय परस्पर-संबद्धता से उत्पन्न जोखिमों पर सतर्कता के साथ वित्तीय स्थिरता और वित्तीय समावेशन पर होगा ताकि बैंकिंग क्षेत्र को स्वस्थ, समुत्थानशील और समावेशी बनाया जा सके।

[7] "विनिर्दिष्ट बैंक नोट" का आशय 8 नवंबर 2016 को या इसके पहले विद्यमान शृंखला में ₹500 और ₹1000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट से है।